न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 68/2017

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
रामाराम पुत्र श्री मादारामजी, जाति पटेल, निवासी कटारड़ा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।		जबराराम पुत्र श्री केसारामजी, जाति जाट निवासी भाण्डूखुर्द, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति –

1. प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति ।
2. अप्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा ।

आदेश

दिनांक :– 9.1.2020

पत्रावली पर पूर्व में बहस सुनी गयी । पत्रावली आज वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई । संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया हैं । वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजों से वादी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना हैं । प्रार्थी ग्राम कटारड़ा का मूल निवासी हैं तथा सीनियर सिटीजन हैं प्रार्थी की खातेदारी के कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 11, 11/1, 11/12, 11/13, 11/14, 11/15, 11/16, 11/17, 11/18, 11/3 कुल खसरान 10 कुल रकबा 130 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम बासनी झूंठा, पटवार क्षेत्र सरेंचा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में आयी हुई हैं उपरोक्त कृषि भूमि पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज हैं जिसकी जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही हैं जिसे आगे इस वाद वादवाद ग्रस्त कृषि भूमियों के रूप में संबोधित किया जावेंगा । वादग्रस्त कृषि भूमि में से खसरा संख्या 11/13, 11/14, 11/15 एवं 11/18 की पूर्वी दिशा में से एवं खसरा संख्या 11/16 व 11/17 एवं 11/12 के बीच में से पक्की सड़क चलती हैं जिसका उपयोग प्रार्थी एवं आम जनता द्वारा किया जाता हैं उक्त खसरा संख्या 11/13 व 11/18 की पश्चिमी दिशा में खसरा संख्या 207 की भूमि आई हुई है तथा उसके आगे अप्रार्थी का खेत आया हुआ हैं । चूंकी प्रार्थी की कृषि भूमि मुख्य सड़क से लगती हुई हैं तथा अप्रार्थी की भूमि पिछे की तरफ लगी हुई हैं जो राजस्व ग्राम रामनगर, पटवार क्षेत्र बड़लिया में स्थित हैं जिसके लिए मौके पर अलग से रास्ता कायम हैं जिससे ही होकर अप्रार्थी अपने भूमि में आता जाता रहता हैं परन्तु अप्रार्थी ने मनमाने तौर पर झूठे तथ्यों के आधार पर कुछ अन्य लोगो से सांठ गांठ कर प्रार्थी की पूर्वी दिशा में चल रहें मुख्य रास्ते से वादी की भूमि में से जबरदस्ती रास्ते निकालने की कोशिश की तब प्रार्थी ने मना किया एवं विरोध किया क्योंकि प्रार्थी के खेत में से कभी भी कोई रास्ता नहीं था और न ही अप्रार्थी या अन्य व्यक्ति कभी भी प्रार्थी की भूमि में से आते जाते थें। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को मना करने पर अप्रार्थी ने धारा 251–1 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसका जवाब प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया जो कि विचाराधीन हैं परन्तु अप्रार्थी जोर जबरदस्ती वादी की उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रवेश करने पर आमादा हैं तथा प्रार्थी की कृषि भूमि में स्थित माठ को तोड कर जबरदस्ती तौर पर रास्ता निकालने हेतु आमादा हैं जिसके लिए दिनांक 18.12.2017 को अप्रार्थी अपने साथ कुछ लोगो के साथ प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि के पास ट्रेक्टर लेकर आये तथा प्रार्थी की भूमि की माठ को खुर्द बुर्द करने की कोशिश करने लगे तो प्रार्थी द्वारा विरोध किया, तो अप्रार्थी ने धमकी दी कि वो जबरदस्ती प्रार्थी की भूमि में से रास्ता अपने खेत तक निकाल ही लेंगे तथा मौका पाकर माठ तोड़ देंगे तथा प्रार्थी की भूमि में स्थित खसरा संख्या 11/14 में स्थित ढ़ाणी को तोड़ देंगे, जबकि ऐसा करने का अप्रार्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं । अप्रार्थी बदमाश एवं झगड़ालू प्रवृति का व्यक्ति हैं तथा वो कभी भी मौका पाकर प्रार्थी की भूमि को खुर्द बुर्द कर सकते हैं तथा माठ इत्यादि तोड़ सकते हैं

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा के वाद प्रस्तुत करने के अलावा कोई चारा नहीं हैं । इन तमाम परिस्थितियों में प्रार्थी का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद डिक्री किया जाकर अप्रार्थी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक हैं कि वो जोर जबरदस्ती प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि (विवादग्रस्त भूमि) से प्रवेश नहीं करें तथा माठ इत्यादि नहीं तोड़े और न ही खुर्द बुर्द करने की कार्यवाही करें जिसके लिए उक्त वाद पेश हैं । विवादग्रस्त कृषि भूमि का प्रार्थी खातेदार हैं तथा काश्त कर रहा है। जिसका उसे कानूनी प्रदत पूर्ण अधिकार हैं । ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला हैं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में हैं यदि अप्रार्थी जोर जबरदस्ती विवादग्रस्त कृषि भूमि में प्रवेश कर प्रार्थी की भूमि की माठ इत्यादी तोड़ कर भूमि को खुर्द करते हैं तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती हैं ऐसी स्थिति में अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक हैं जिसके लिये उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत हैं एवं अन्त में निवेदन किया कि अप्रार्थी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वो मूल वाद के निस्तारण तक विवादग्रस्त भूमि में प्रवेश नहीं करें, प्रार्थी के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा जोर जबरदस्ती रास्ता निकालने का प्रयास नहीं करें और न ही किसी के जरिये करवायें ।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी होने पर अप्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा के उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया तथा अपने जवाब में प्रार्थी के तथ्यों का खण्डन करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

वकुलाय अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया । चूंकी प्रार्थी विवादग्रस्त खसरान का रेकर्डेड खातेदार हैं तथा किसी भी खातेदार को अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का उपयोग एवं उपभोग करने का पूर्ण अधिकार होता हैं तथा किसी भी व्यक्ति को उसमें दखल करने का कोई अधिकार नहीं होता हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता हैं कि प्रार्थी की खातेदारी के कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 11, 11/1, 11/12, 11/13, 11/14, 11/15, 11/16, 11/17, 11/18, 11/3 जो कि बासनी झूंठा, तहसील लूणी में स्थित हैं उक्त कृषि भूमियों के उपयोग व उपभोग में अप्रार्थी किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें । आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

(गोपाल परिहार)
सहायक कलक्टर एवं
सहायक उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner